

सच होगा सपना अपने आशियाने का अपनी जमीन पर अपना घर बनाने का

Premium Plots : 800-1500 sq.ft.

RERA Registration No. P-OTH-18-1832

Shubham GREENS Extension

शुभम ग्रीन्स टाउनशिप की सफलता के बाद शुभम ग्रुप लाये हैं शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन। जिसमें आप पायेंगे 800-1500 स्क्.फीट तक के प्रीमियम प्लॉट्स। इस प्रकार आप शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन में अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार मनचाहा प्लॉट खरीद कर अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं।



साईट - केट रोड, सूर्य मंदिर के पास, रंगवासा (राऊ), इन्दौर. सम्पर्क करें: 98277 00090, 98269 15871

प्राकृतिक एवं आधुनिक जीवन शैली का संगम शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन

‘शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन’ प्रीमियम टाउनशिप है जिसे इन्दौर के प्रतिष्ठित शुभम ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। आर.आर. केट जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थित ये टाउनशिप अपने आप में अनुपम है। शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन कोलाहल से दूर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं सुविधाओं के करीब है। यहाँ आप पायेंगे प्राकृतिक एवं आधुनिक जीवन शैली का अप्रतिम संगम।



Actual Photographs of Shubham Greens Township

Shubham GREENS Extension

टाउनशिप के पास स्थित सुविधाएँ

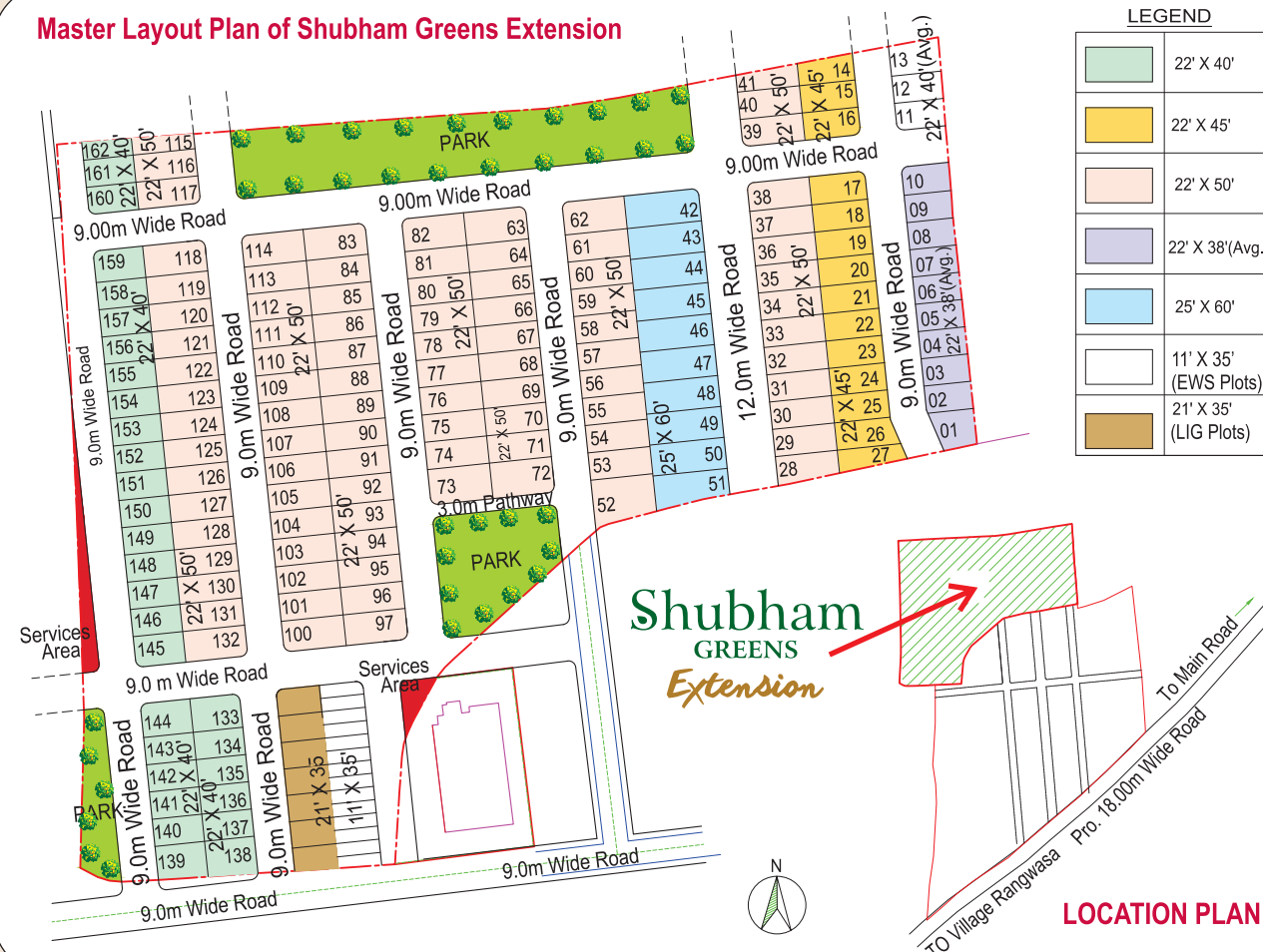
स्कूल एवं अस्पताल - आई.पी.एस. स्कूल, चौइथराम स्कूल, एमराल्ड हाइट्स स्कूल, चौइथराम हॉस्पिटल

यातायात के साधन - सिटी बस स्टॉप, राजेन्द्र नगर रेल्वे स्टेशन

प्रमुख मार्ग - ए.बी. रोड, रिंग रोड, बायपास, प्रपोज़्ड नया आउटर रिंग रोड (45 मीटर चौड़ा)

प्रसिद्ध स्थान - सूर्य मंदिर, आर.आर.केट केम्पस

Master Layout Plan of Shubham Greens Extension



बुकिंग एवं अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें : **98277 00090, 98269 15871**

साईट - केट रोड, सूर्य मंदिर के पास, रंगवासा (राऊ), इन्दौर. ई-मेल: shubhambuildconindore@gmail.com

Developers: Shubham Real Infra Pvt. Ltd. Promoter: Sumit Kalyanmal Mantri: 9669057000, 9425315832

RERA Registration No. P-OTH-18-1832 • TNCP No. 10296/2017 Dated 29/11/2017 • Diversion Order No. 15/2017-18 Dated 12/12/2017 • Colonizer License No. 46/2017 Dated 19/12/2017 • Development Permission No. 98 Dated 18/5/2018

Disclaimer: The contents/images of the leaflet are purely conceptual and are for display only and have no legal binding. The developers reserve the rights to amend the layouts, plans, dimensions, elevations, colour schemes and specifications without any notice or intimation. All disputes and conflicts whatsoever are subject to Indore jurisdiction only.